(84)

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष–एम0के0सिंह
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 415–दो/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.1.2008 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना प्रकरण क्रमांक 12/अपील/2006–2007.

उमाशंकर पुत्र श्री शांतिप्रसाद उर्फ
रामेश्वर शर्मा निवासी ग्राम सिसौनिया
तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

--- आवेदक

विरूद्ध

1– रामेश्वर दयाल शर्मा उर्फ शांतिप्रसाद शर्मा
पुत्र श्री रामदयाल शर्मा
2– अमित कुमार नावालिग पुत्र
सरपरस्ती मां अरूण कुमारी
3– राजू 4– श्यामू नावालिग पुत्रगण प्रवीण कुमार
सरपरस्ती मां
5– आकाश 6– विकास नावालिग पुत्रगण दिलीप कुमार
सरपरस्त पिता दिलीप कुमार
7– शिवकुमार पुत्र शांति कुमार ब्राहम्ण
निवासीगण ग्राम सिसौनिया तहसील गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0 हाल निवासी मैनरोड गोहद
जिला भिण्ड म0प्र0

--- अनावेदकगण

आवेदक अधिवक्ता श्री ए0 के0 अग्रवाल
अनावेदकगण एक पक्षीय है

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25-4-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 12/अपील/2006-2007 में पारित आदेश दिनांक 03.1.2008 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2- प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक रामेश्वर दयाल शर्मा उर्फ शांती प्रसाद शर्मा की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष इस आश्य का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि जो कि ग्राम सिसौनिया में खाता कमांक 155 रकवा 6.13 है0 स्थित होकर अनावेदक कमांक-1 भूमिस्वामी हैं तथा वह उकत भूमि अपने पुत्र व नातियों को देना चाहता है। अतः मेरे पुत्र व नातियों के मध्य पारिवारिक वटवारा किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 09/अ-27/2003-04 पर प्रकरण पंजीवद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 24.04.2004 से पारिवारिक वटवारा स्वीकार किया गया । निगरानीकर्ता द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी गोहद के न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 73/अपील/2003-04 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 30.10.06 से निरस्त की गयी । निगरानीकर्ता द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 12/2006-07 अपील पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 3.1.08 से अस्वीकार की गई । परिणामतः निगरानीकर्ता द्वारा अपर आयुक्त के आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई ।

3- निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया।

4- प्रकरण में निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायाालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं के अवलोकन से यह स्थिति निर्मित होती है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक-1 रामेश्वर दयाल उर्फ शांतीप्रसाद पुत्र रामदयाल निवासी सिसौनियां द्वारा प्रश्नाधीन भूमि खाता कमांक 155 किता 07 जिसके सर्वे कमांक 168, 255, 359, 415, 514, 567, 568 कुल रकवा 06.13 है0 का पारिवारिक वटवारा अपनी सहमति से अपने पुत्र व नातियों को देना चाहता हूॅं तथा कुछ भूमि अपने पास भी रखना चाहता हूॅं। अतः पारिवारिक वटवारा किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद विधिवत प्रकरण में उद्घोषणा का प्रकाशन कराया गया। पटवारी मौजा द्वारा प्रस्तुत फर्द वटवारा के प्रकाशन के बाद प्रकरण में कोई आपत्ति नहीं आई। आवेदक का यह तर्क है कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत उद्घोषणा का प्रकशन नहीं कराया गया। आवेदक का यह तर्क स्वीकार योगय नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क में माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.4.09 का उल्लेख करते हुये यह बताया है कि माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा वटवारा को उचित नहीं माना है क्यों कि उसमें लड़कियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। किन्तु इसके और माननीय व्यवहार न्यायालय द्वारा यह भी आदेश किया गया हे कि सर्वे कमांक 56, 108, 131, 403, 439, 460, 463, 497, 189, एवं 490 कुल किता 10 कुल रकवा 5.03 है0 आवेदक के हिस्से की है। तथा इसके अतिरिक्त उसे कोई भूमि प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। केवल इस भूमि के हक तक वह स्वामी होना पाया जाता है। अनावेदक कमांक-1 के द्वारा अपने पुत्र व नातियों के नाम पारिवारिक वटवारा कराया गया है, वह खाता पृथक है, जिसमें आवेदक को प्राप्त सर्वे नम्बरान में से किसी भी नम्बर को वटवारा में शामिल नहीं किया गया है।

5– प्रकरण के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि विचारण न्यायालय में प्रचलित वटवारा कार्यवाही की जानकारी आवेक को थी। आवेदक जानबूझकर विचारण न्यायालय की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं हुआ वल्कि उसके द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 11.10.04 को संस्थित हुआ था। जहां तक आवेदक का यह तर्क रहा है कि वह अनावेदक कमांक–1 पुत्र है, उसे वटवारा कार्यवाही में वचित किया गया है पुत्र होने के संबंध में आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, अपर आयुक्त एवं इस न्यायालय में किसी प्रकार का कोई इस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है । इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई आधार परिलक्षित नहीं होता है ।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.01.2008 विधिसम्मत होने के कारण स्थिर रखा जाता है और प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है।

एम0 के0 सिंह
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर